भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग

अरूण कुमार सिन्हा
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
दिनांकः 13 सितम्बर, 2019

अपील

प्रिय साथियों,

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार की राजभाषा 'हिंदी' एवं लिपि 'देवनागरी' होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करें। इस महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की पावन स्मृति में हम प्रति वर्ष 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाते आ रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय जल आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रचलन एवं प्रयोग में निरंतर वृद्धि हुई है परंतु हमें निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधिक उत्साह एवं लगन से अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करना होगा। चूंकि केन्द्रीय जल आयोग में ई-ऑफिस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है अतः सभी से अनुरोध है कि ई-ऑफिस में तथा ई-मेल आदि भेजने में हिंदी का अधिकतम प्रयोग किया जाए। हम सरकारी कार्यों में कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें और सरल शब्दों का प्रयोग करें ताकि जन साधारण भी इसे अच्छी तरह समझ सके एवं अपना सके।

तकनीकी कार्य को हिंदी में करने तथा आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से फरवरी माह में 'ग' क्षेत्र में स्थित हैदराबाद में हिंदी में प्रथम तकनीकी संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया।

राजभाषा का प्रचार-प्रसार करना हमारा एक संवैधानिक दायित्व है। मैं, इस अवसर पर केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा इसके सभी क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करके केन्द्रीय जल आयोग को गौरवान्वित करें। सभी के सामूहिक प्रयास से ही इसमें सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें साथ ही, हमारा प्रत्येक दिवस हिंदी दिवस हो, ऐसी भावना से हम हिंदी को अपने दैनिक सरकारी कार्यों में अपनाएं।

आइए, इस पावन अवसर पर शपथ लें कि हम अपना सरकारी कार्य हिन्दी में ही करेंगे और राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।

(अरूण कुमार सिन्हा)